न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी – दमयन्ती कंवर (R.A.S.)

मु0सं0 48/2018

नत्थूराम पुत्र बिडदाराम जाति बलाई निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान

.....वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र नन्दाराम
2. जगदीश पुत्र भूराराम
   समस्त जाति मेघवाल निवासीगण वार्ड नं. 4 रघुनाथपुरा कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
3. धानी पुत्र रामकुमार
4. नागरमल पुत्र जेठाराम
5. भंवरलाल पुत्र जेठाराम
6. माणकचंद पुत्र जेठाराम
7. शंकरलाल पुत्र जेठाराम
8. शारदा पुत्री जेठाराम
9. सविता पुत्री जेठाराम
10. नितू पुत्री रामकुमार
11. कमला देवी पत्नी प्रकाश
12. पंकज पुत्र प्रकाश नाबालिग जरिये सरक्षिका माता कमला देवी
13. सोनू पुत्र प्रकाश नाबालिग जरिये सरक्षिका माता कमला देवी
14. मूंगाराम पुत्र आशाराम
    समस्तगण जाति मेघवाल निवासीगण वार्ड नं. 2 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर
15. तहसीलदार फतेहपुर
16. उपपंजीयक फतेहपुर
17. पटवारी पटवार हल्का फतेहपुर

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता

श्री अनिल बाटड़– वादी की ओर से

श्री दिनेश शर्मा -- प्रतिवादी संख्या 1, 5ता 7 की ओर से

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

निर्णय

दिनांकः— 07.01.2025

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कस्बा फतेहपुर में भूमि खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0.0600 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 1.6440 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.8020 हैक्टर कृषि भूमि अवस्थित है उक्त खसरा नम्बर की भूमियों को वाद पत्र में आगे विवादीतआराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। विवादीत आराजियात में वादी का स्वयं का 883/7005 हिस्सा भूमि भाग बनता है तथा उसी के अनुसार वादी का अपने हिस्से की भूमि पर प्रारम्भ से ही कब्जा काश्त निरन्तर एवं निर्बाध रूप से करता चला रहा है।

विवादीत आराजियात में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 का भी हिस्सा है तथा वे अपने अपने हिस्से के अनुसार उक्त विवादीत आराजियात में वादी के साथ काश्त करते चले आ रहे है। विवादीत आराजियात में से राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 का निर्माण होने से वादी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 65 पर आ गई जिसके कारण उसकी कीमत में वृद्धि हो जाने से अन्य प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया तथा वे आपस में मिलकर वादी का जबरन ताकत के बल पर उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करना चाहते है जिसके कारण वादी अब प्रतिवादीगण के साथ में संयुक्त रूप से कृषि कार्य नहीं कर सकता है जिसके कारण वादी अपने हिस्से की भूमि का अलग से बंटवारा करवाकर अलग से नीवं सीवं कायम करना चाहता हे जिसके कारण पादो द्वारा उपरा पाय पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 संख्या में अधिक है तथा वे वादी को उसके हिस्से की भूमि से जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने पर गत 5 रोज से आमादा है अगर वे वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने में सफल हो जाते गये तो वादी को असीम क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी जिसके लिये वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का अधिकारी है तद् हेतु भी वादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादीण द्वारा गत 5 रोज से वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने की धमकी वादी को दी जा रही है जिसके कारण वादी को उसी रोज से वाद कारण हासिल है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 सह खातेदार होने के काराण तथा प्रतिवादीगण सं. 15 ता 17 लोक सेवक होने के कारण उन्हें प्रपत्रीय पक्षकार बनाया गया है।

वाद बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषे[illegible] फीस पर अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण सं. 15 ता 17 लोक [illegible] श्रेणी में आते जिन्हें वाद दायरी से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जा[illegible] समय से वाद दायरी का उद्देश्य ही समाप्त हो [illegible] 80 (2) सी.पी.सी. आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर शेखावाटी (राज.)

वाद पत्र की सुनवाई का माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल है।

वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे के विवादीत आराजियत भूमि खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0. 0600 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 1. 6440 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.8020 हैक्टर कृषि भूमि में वादी के 883/7005 हिस्से की भूमि को जरिये बंटवारा अलग कर अलग से नींव सींव कायम की जावे तथा वादी की भूमि की लगान का निर्धारण भी अलग से किया जावे।

प्रतिवादीगण को मय नौकर, चाकर, ऐजन्ट जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि उपरोक्त विवादीत आराजियत का रूपान्तरण, अन्तरण व विक्रय ना करे, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण ना करे तथा हरे वृक्ष खेजड़ी आदि को काटे नहीं एवं नींव सींव कायम रखे।

मिसल मुर्तिब की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 7 की ओर से श्री दिनेश शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4, 8 ता 17 बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब दावा पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दावा में वर्णित कृषि भूमियाँ खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460 हैक्टयर, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 597 रकबा 1.6440 हैक्टयर कुल रकबा 2.8020 हैक्टयर कृषि भूमियाँ कस्बा फतेहपुर मे अवस्थित होना स्वीकार है। वादी का उक्त कृषि भूमियों में 883/7005 हिस्सा होना स्वीकार नही है। वादी ने अपने खाते उक्त जमीन को बाबुलाल पुत्र श्री दूलाराम जाति जाट निवासी खूड़ी जिला सीकर को विक्रय कर दिया है, किन्तु उक्त बाबूलाल अनुसूचित जाति सदस्य नही होने के कारण उसके नाम उक्त भूमि की खातेदारी दर्ज नही हो सकी है, इसलिये उक्त बाबूलाल की तरफ से नथूराम ने यह नुमाईशी दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, इससे पूर्व भी उक्त बाबूलाल के द्वारा इसी भूमि के सम्बन्ध में एक दावा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जो माननीय न्यायायल द्वारा खारिज किया जा चुका है। उक्त नत्थूराम की जमीन एन० एच0–65 के उत्तर में अवस्थित है। एन0एच0–65 में अवस्थित भूमियों पर उक्त नत्थूराम अथवा बाबूलाल का कोई हक, हिस्सा, अधिकार, कब्जा आदि नही है। नत्थूराम के द्वारा उक्त नुमाईशी दावा कतई गलत तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

दावा में वर्णित कथन जिस प्रकार से तहरीर किये गये है वह गलत होने के कारण स्वीकार नही है। उक्त कृषि भूमियों के खातेदारी का मौके प[illegible] हो चुका है, प्रतिवादी संख्या 01 के खाते, कब्जे, काश्त की भूमि [illegible] से सटकर दक्षिण की तरफ अवस्थित है, मौके पर प्रतिवादी स[illegible] जमीन पर तारबंदी की हुई है तथा मुझ प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से [illegible] मुझ प्रतिवादी संख्या 01 के खाते, कब्जे, काश्त में निरन्तर, निर्बाध, शान्तिपूर्वक तरीके [illegible]ली आ रही है, जिससे वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 14 का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)

वादी के खाते में दर्ज कृषि भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग–65 के उत्तर में अवस्थित है, जो मौके पर मौजूद है, वास्तविकता यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर पृथक–पृथक रूप से काबिज है, वादी के हिस्से की जमीन जो उत्तर में अवस्थित है, उस पर वादी काबिज है, वादी के हिस्से की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग में आ जाने के कारण अब वह अन्य खातेदारो के हिस्से जमीन में गलत रूप से हिस्सा लेना चाहता है, जिसका उसे कोई हक अधिकार नही है, वादी के हिस्से की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के उत्तर की ओर अवस्थित है तथा उसकी नींव–सींव पृथक रूप से मौके पर मौजूद है। उसके द्वारा गलत रूप से हम प्रतिवादीगण के हिस्से की जमीन में हिस्सा लेने के लिये यह दावा गलत रूप से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो हरसूरत में खारिज किये जाने योग्य है। वादी के हिस्से की जमीन जो उसके द्वारा बाबूलाल को विक्रय की जा चुकी है, वह राष्ट्रीय राजमार्ग–65 के उत्तर में अवस्थित है तथा वह अपने हक हिस्से की जमीन को अपने उपयोग–उपभोग में लेता चला आ रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अवरोध प्रतिवादीगण के द्वारा नही किया गया है, मुझ प्रतिवादी संख्या 01 अपने हिस्से की भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के दक्षिण की ओर अवस्थित है, पर साधिकार काबिज चला आ रहा है तथा उक्त भूमि को अपने उपयोग–उपभोग में निरन्तर निर्बाध शान्तिपूर्वक तरीके से लेता चला आ रहा है, वादी को इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान कारित करने का कोई हक अधिकार नही है। इसलिये भी दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

वादी को दावा किसी प्रकार का कोई वाद कारण एवं हकनालिश हासिल नही है। इसलिये दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। नम्बर 07 दावा में वर्णित कथन जिस प्रकार तहरीर किये गये है, गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। नम्बर 08 दावा में वर्णित कथन जिस प्रकार तहरीर किये गये है, गलत होने के कारण स्वीकार नहीं है। दावा आवश्यक प्रकृति का नही है, वादी को वाद प्रस्तुती से पूर्व प्रतिवादीगण संख्या 15 ता 17 को धारा ८० जा०दी० का नोटिस दिया जाना आवश्यक था। उक्त नोटिस के अभाव में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। दावा मय उपधारा क, ख, ग, घ, ङ गलत होने के कारण स्वीकार नही है। वादी दावा में किसी भी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त कथन

दावा वादी कानूनन मैन्टेनेबल नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460 हैक्टयर, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 597 रकबा 1.6440 हैक्टयर कुल रकबा 2.8020 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 01 का 1179/9340 हैक्टयर भूमि का खातेदार, काबिज काश्तकार है। प्रतिवादी संख्या 01 की उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के दक्षिण की ओर सटकर अवस्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी
फतेहपुर (राज०)

प्रतिवादी संख्या 01 उक्त कृषि भूमियों में अपने हिस्से को साधिकार काश्त करता चला आ रहा है, वादी अथवा अन्य प्रतिवादीगण का उक्त कृषि भूमियों से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध सरोकार नही है। किन्तु वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण कतई गलत रूप से अपनी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 में चले जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 को उसके खाते, कब्जे, काश्त की भूमि से जबरन असंवैधानिक रूप से बेदखल करना चाहता है, जिसका उन्हे कोई हक, अधिकार नहीं है। जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 01 अपने खाते, कब्जे, काश्त की उक्त भूमियों को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 14 के साथ शामिल शरीक नही रखना चाहता है तथा प्रतिवादी संख्या 01 अपनी कृषि भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 के सटकर दक्षिण में अवस्थित है, का बंटवारा करवाया जाकर उसका खाता, कब्जा, लगान पृथक से कायम करवाने का अधिकारी है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 02 ता 14 को प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से के खाते, कब्जे, काश्त की भूमि से उसे जबरन बेदखल नहीं करने तथा उसके कब्जे, काश्त, उपयोग--उपभोग में हस्तक्षेप नही करने के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित करवाने का अधिकारी है। जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 01 अपना काउन्टर दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 ता 14 माननीय न्यायालय में विधिवत् रूप से प्रस्तुत कर रहा है, जिसके लिये प्रतिवादी संख्या 01 को उपरोक्त प्रकार दिनांक 30.06.2018 से वादकारण एवं हकनालिश हासिल है तथा प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर दावा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है, जो अन्दर मियाद 04/--रूपये न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

प्रतिवादी संख्या 01 उक्त विवादित आराजीयात का खातेदार, काबिज, काश्तकार है, कानूनन खातेदार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी की जानी न्यायोचित नही है। इसलिये भी दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादी ने यह दावा कतई गलत तथ्यों के आधार पर मुझ प्रतिवादी के खातेदार, कब्जे, काश्त की भूमि को नाजायज रूप से हड़पने की नियत से गलत रूप से प्रस्तुत किया है जो 25,000/--रूपये सहित खारिज किया जाना न्यायोचित है तथा 25,000/--रूपये विशेष हर्जा वादी से प्रतिवादी संख्या 01 को दिलवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

इसलिये जवाबदावा मय काउन्टर दावा मय शपथ--पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी मय विशेष हर्जा 25,000/--रूपये खारिज फरमाने की कृपा करें एवं 25,000/--रूपये वादी से मुझ प्रतिवादी को दिलवाये जाने के आदेश न्यायहित में पारित फरमाने की कृपा करें तथा मुझ प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर दावा विरूद्ध वादी प्रतिवादी संख्या 02 ता 14 सादर डिक्री फरमाया जावे तथा आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460 हैक्टयर, खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 597 रकबा 1. 6440 हैक्टयर कुल रकबा 2.8020 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 01 के 1179/9340 हक हिस्से की भूमि जो राष्ट्रीय राजमार्ग--65 के सटकर दक्षिण मे अवस्थित है, का बंटवारा मुझ प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] भूमि का खाता, कब्जा, लगान पृथक से कायम फरमाया जावे तथा वादी एवं प्र[illegible]संख्या 02 ता 14 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित फरमाया [illegible] परिजन, एजेन्ट के जरिये प्रतिवादी संख्या 01 के उपरोक्त भूमियों में प्राप्त [illegible] हिस्से से प्रार्थी को जबरन असंवैधानिक तरीके से बेदखल नही करे, उक्त भूमियों में वादी के कब्जे, काश्त उपयोग--उपभोग में हस्तक्षेप नही करे तथा वादी के हक, हिस्से अधिका[illegible] भूमि का कोई प्रलेख निष्पादित नही करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा पेश हुआ जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि कस्बा फतेहपुर में भूमी ख0 नं0 2415/590 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, ख0न0 2416/597 रकबा 0.0460 हैक्टेयर, ख०न० 590 रकबा 1.0520 हैक्टेयर, ख०न० 597 रकबा 1.6440 हैक्टेयर कुल किता चार रकबा 2.8020 हैक्टेयर अवस्थित है। इसके मध्य में से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 से दक्षिण की और राष्ट्रीय राजमार्ग से सटकर पूर्व से पश्चिम वर्तमान खन 597 में प्रतिवादी संख्या एक गोपाल के हिस्से की जमीन है जिसका खाता प्रतिवादी गोपाल पृथक से अपने नाम बनवाने का अधिकारी है। जिससे यादी एवं अन्य प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है तथा न ही उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति है।

उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्ला 6 से उत्तर की और राष्ट्रीय राजमार्ग से सहकर साही नत्थूराम के हिस्से की जमीन है। जिसका खाता नत्थूराम पृसक से अपने नाम अधिकारी है। जिससे प्रतिवाहीजण का कोई सम्बना सरोकार नहीं है तथा न ही इस सक्बन्ध में कोई आपति है।

अक्तः राजीनामा प्रस्तुत कर शिवेतन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाने ही कृपा करे तथा मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाने की कृपा करे।

प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार फतेहपुर को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहरीर जारी की गयी। तहसीलदार फतेहपुर से बंटवारा प्रस्ताव मय मौका नक्शा रिपोर्ट प्राप्त हुआ। मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता सहमत है।

बहस वकुलाय फरीकेन सुनी गयी। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वकील उभयपक्षकारान ने तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार सहमत है।

अतः वाद वादी व काउन्टर वाद प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कस्बा फतेहपुर में अवस्थित खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0. 0600 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 590 रकबा 1. 0520 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 597 रकबा 1. 6440 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.8020 हैक्टर का तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार उभयपक्ष अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

क्र.स.	नाम खातेदार	ख[illegible]	[illegible]कबा	किस्म
1.	गोपाल पुत्र नन्दाराम कोम मेघवाल सा. [illegible]	597/[illegible]	0.2936	बा.3
		2415/590	0.0600	बा.3
		कुल किता 2	0.3536	

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-शेखावाटी (राज.)

2. जगदीश प्रसाद पुत्र भूराराम 1773/3376, ताराचन्द पुत्र रामकुमार 43/3376, धानी पुत्री रामकुमार 43/3376, नागरमल पुत्र जेठाराम 23/6752, भंवरलाल पुत्र जेठाराम 23/6752, मनकोरी पत्नी जेठाराम 45/13504, शंकरलाल पुत्र जेठाराम 23/6752, शारदा पुत्री जेठाराम 405/13504, सविता पुत्री जेठाराम 23/6752, माणकचन्द पुत्र जेठाराम 23/6752, नीतू पुत्री रामकुंवार 43/3376 कोम मेघवाल सा. देह चुकी पत्नी नन्दलाल 1505/6752 जाति खटिक सा. देह बिरजूराम पुत्र भूराराम 1099/6752 कोम मेघवाल सा. बिराणियां तह. फतेहपुर खातेदार	597/2	1.3504	बा.3
3. नत्थुराम पुत्र बिड़दाराम जाति बलाई सा. प्रतापपुरा तह. लक्ष्मणगढ़ सीकर खातेदार	590/1	0.3531	बा.3
4. जगदीश प्रसाद पुत्र हरजीराम जाति बलाई सा. नारसरा खातेदार	590/2 2416/597	0.0620 0.0460	बा. 2 बा.3
	किता 2	0.1080	
5. चुकी पत्नी नन्दलाल हि. 1941/6368 जाति खटिक सा. वार्ड नं. 23 सुभाष नगर क. फतेहपुर, जगदीश प्रसाद पुत्र भूराराम 913/1592 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, ताराचंद पुत्र रामकुवार हि. 15/3184 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, धानी पुत्री रामकुवार हि. 15/3184 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार हि. 31/6568 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, नीतू पुत्री रामकुवार हि. 111/6368, भंवरलाल पुत्र जेठाराम हि. 31/6368, मनकोरी पत्नी जेठाराम हि. 29/6368 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, माणकचन्द पुत्र जेठाराम हि. 31/6368 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र जेठाराम हि. 31/6368 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, शारदा पुत्री जेठाराम हि. 33/796 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, सविता पुत्री जेठाराम हि. 31/6368 जाति मेघवाल सा. खातेदार	590/3	0.6368	बा. 2

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तदनुसार अंति[illegible]री की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को खुले [illegible] ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर(राज.)
फतेहपुर(सीकर)

अंतिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6--7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर जिला सीकर

उनवान

नत्थूराम पुत्र बिड़दाराम जाति बलाई निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान

.....वादी

बनाम

1. गोपाल पुत्र नन्दाराम
2. जगदीश पुत्र भूराराम
   समस्त जाति मेघवाल निवासीगण वार्ड नं. 4 रघुनाथपुरा कस्बा फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
3. धानी पुत्र रामकुमार
4. नागरमल पुत्र जेठाराम
5. भंवरलाल पुत्र जेठाराम
6. माणकचंद पुत्र जेठाराम
7. शंकरलाल पुत्र जेठाराम
8. शारदा पुत्री जेठाराम
9. सविता पुत्री जेठाराम
10. नितू पुत्री रामकुमार
11. कमला देवी पत्नी प्रकाश
12. पंकज पुत्र प्रकाश नाबालिग जरिये सरक्षिका माता कमला देवी
13. सोनू पुत्र प्रकाश नाबालिग जरिये सरक्षिका माता कमला देवी
14. मूंगाराम पुत्र आशाराम
    समस्तगण जाति मेघवाल निवासीगण वार्ड नं. 2 कस्बा फतेहपुर जिला सीकर
15. तहसीलदार फतेहपुर
16. उपपंजीयक फतेहपुर
17. पटवारी पटवार हल्का फतेहपुर

---प्रतिवादीगण

वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

मिसल नम्बर--48/2018

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू--ब--रू मुझ [illegible] आर.ए.एस. बहाजिरी श्री अनिल बाटड़ एडवोकेट मिनजानिब [illegible] श्री एडवोकेट मुददालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि भूमि कस्बा [illegible]पुर में अवस्थित खसरा नम्बर 2415/590 रकबा 0. 0600 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 2416/597 रकबा 0.0460 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 590 रकबा 1.0520 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 1. 6440 हैक्टर कुल खसरा 4 कुल रकबा 2.8020 हैक्टर का तहसीलदार फतेहपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार उभयपक्ष अधिवक्तागण की सहमति के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है--

उपखण्ड अधिकारी

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख0नं0	रकबा	किस्म
1.	गोपाल पुत्र नन्दाराम कोम मेघवाल सा. देह खातेदार	597 / 1 2415 / 590	0.2936 0.0600	बा.3 बा.3
		कुल किता 2	0.3536	
2	जगदीश प्रसाद पुत्र भूराराम 1773 / 3376, ताराचन्द पुत्र रामकुमार 43 / 3376, धानी पुत्री रामकुमार 43 / 3376, नागरमल पुत्र जेठाराम 23 / 6752, भंवरलाल पुत्र जेठाराम 23 / 6752, मनकोरी पत्नी जेठाराम 45 / 13504, शंकरलाल पुत्र जेठाराम 23 / 6752, शारदा पुत्री जेठाराम 405 / 13504, सविता पुत्री जेठाराम 23 / 6752, माणकचन्द पुत्र जेठाराम 23 / 6752, नीतू पुत्री रामकुंवार 43 / 3376 कोम मेघवाल सा. देह चुकी पत्नी नन्दलाल 1505 / 6752 जाति खटिक सा. देह बिरजूराम पुत्र भूराराम 1099 / 6752 कोम मेघवाल सा. बिराणियां तह. फतेहपुर खातेदार	597 / 2	1.3504	बा.3
3.	नत्थुराम पुत्र बिड़दाराम जाति बलाई सा. प्रतापपुरा तह. लक्ष्मणगढ़ सीकर खातेदार	590 / 1	0.3531	बा.3
4.	जगदीश प्रसाद पुत्र हरजीराम जाति बलाई सा. नारसरा खातेदार	590 / 2 2416 / 597	0.0620 0.0460	बा. 2 बा.3
		किता 2	0.1080	
5.	चुकी पत्नी नन्दलाल हि. 1941 / 6368 जाति खटिक सा. वार्ड नं. 23 सुभाष नगर क. फतेहपुर, जगदीश प्रसाद पुत्र भूराराम 913 / 1592 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, ताराचंद पुत्र रामकुवार हि. 15 / 3184 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, धानी पुत्री रामकुवार हि. 15 / 3184 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार हि. 31 / 6568 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, नीतू पुत्री रामकुवार हि. 111 / 6368, भंवरलाल पुत्र जेठाराम हि. 31 / 6368, मनकोरी पत्नी जेठाराम हि. 29 / 6368 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार माणकचन्द पुत्र जेठाराम हि. 31 / 6368 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, शंकरलाल पुत्र जेठाराम हि. 31 / 6368 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, शारदा पुत्री जेठाराम हि. 33 / 796 जाति मेघवाल सा. देह खातेदार, सविता पुत्री जेठाराम हि. 31 / 6368 जाति मेघवाल सा. खातेदार	590 / 3	0.6368	बा. 2

तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर सीकर (राज.)

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....07......माह ....जनवरी.........सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत..

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)

ओहदा..

मुहर

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	1	0	स्टाम्प अर्जी	1	0
स्टाम्प वजूह सबूत	2	0	स्टाम्प अर्जी	2	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	3	0	मिलान	3	0

खर्चा उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

(दमयन्ती कंवर)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर-सीकर (राज.)
फतेहपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2025.01.28 12:50:06 IST
Reason: SelfAttested